

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/अलेसे-1/1992-111/1058-62

दिनांक :- 24/08/23

संशोधन आदेश

श्री बृजेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1। लिंक नं. 4417 द्वारा विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 01.05.2023 राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 8 एवं 9 के तहत विकल्प परिवर्तन कर नवीन वेतनमान दिनांक 01.07.2017 से लिये जाने के कारण, निदेशालय द्वारा विभागीय आदेश संख्या 43/2018-19 दिनांक 22.06.2018 द्वारा पूर्व में दिनांक 01.06.2017 से स्वीकृत द्वितीय एसीपी जो पे मैट्रिक्स के लेवल L-12 में स्वीकृत की गई थी, के स्थान पर दिनांक 01.06.2017 से द्वितीय एसीपी पे-बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है। अन्य शर्तें यथावत रहेगीं।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/अलेसे-1/1992-111/1058-62 दिनांक :- 24/08/24
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर।
2. श्री बृजेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1। द्वारा कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)